Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.gisrrj.com
OPEN ACCESS
© 2023 GISRRJ | Volume 6 | Issue 6 | ISSN : 2582-0095

महाविद्यालयी विद्यार्थियों में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति का अध्ययन

डॉ0 विद्या प्रकाश सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, ट्राइडेन्ट बी0एड्0 कॉलेज, गीधा, आरा, भोजपुर (बिहार)

Article Info
Volume 6, Issue 6
Page Number : 131-138

Publication Issue :
November-December-2023

Article History
Accepted : 10 Dec 2023
Published : 30 Dec 2023

शोध–सारांश–प्रस्तुत समस्या कथन में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति का अध्ययन करना है। प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में प्रयागराज जनपद के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को जनसंख्या के रूप में सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श के चुनाव हेतु उद्देश्य परक न्यादर्श विधि का प्रयोग करके 4 महाविद्यालयों का चयन किया एवं यादृच्छिक विधि के अन्तर्गत लाटरी विधि द्वारा स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के 100–100 छात्र–छात्राओं अर्थात् कुल 200 विद्यार्थियों का चुनाव किया गया। प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययनकर्ता ने आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्रमाणिक प्रश्नावली उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नावली का निर्माण स्वयं किया है। इस प्रश्नावली को अध्ययन के अनुसार **''महाविद्यालयी स्तर पर सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति''** को दृष्टिगत रखते हुए स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया गया है। आँकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, मानक त्रुटि एवं टी–अनुपात का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि–

- महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति में सार्थक अन्तर है अर्थात् महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति छात्राओं की अपेक्षा उच्च है।
- महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् कला वर्ग के छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति में अन्तर है अर्थात् महाविद्यालयी स्तर के कला वर्ग के छात्र स्नातक स्तर के कला वर्ग की छात्राओं की तुलना में सूचना अधिकार अधिनियम. के प्रति उच्च मनोवृत्ति हैं।

महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति में अन्तर है अर्थात् महाविद्यालयी स्तर के विज्ञान वर्ग के छात्र महाविद्यालयी स्तर के विज्ञान वर्ग की छात्राओं की तुलना में सूचना अधिकार अधिनियम. के प्रति उच्च मनोवृत्ति रखते हैं।

मुख्य शब्द– महाविद्यालय, छात्र–छात्राएँ, कला–विज्ञान वर्ग, सूचना अधिकार अधिनियम–2005, मनोवृत्ति।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

प्रस्तावना– मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा वह समाज में रहकर ही अपना वैयक्तिक विकास करता है। अतः समाज का यह कर्तव्य है। व्यक्ति को विकसित होने की सभी सुविधाएँ जुटाएँ और उसे विकास में सहयोग दे। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है इसलिए राज्य, विद्यालय तथा अभिभावकों को यह कर्तव्य है कि बालकों के व्यक्तित्व के विकास में कोई कमी न आने दें। मनुष्य के विकास के लिए उचित वातावरण की स्थापना करना राज्य एवं समाज का ही कर्तव्य है।

व्यक्ति को समाज में सुख शान्तिपूर्वक तथा सम्मान से जीने के लिए समाज में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए तथा मानव जाति के कल्याण हेतु विशेष अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान की गयी है किन्तु हमारे यहाँ अधिकांश नागरिक इन अधिकारों के बारें में जागरूक नहीं है। इसका मुख्य कारण इन अधिकारों की जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षा के रूप में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

शैक्षणिक कार्य की योजना तथा शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु उच्च शिक्षा के प्रति सार्थक एवं उचित दृष्टिकोण अति आवश्यक है, उच्च शिक्षा तभी अच्छी तरह से प्रभावित हो सकती है जब हमारे देश की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा ठोस एवं मजबूत होगी तभी उच्च शिक्षा के प्रति उनको सजग एवं सक्रिय बनाया जा सकता है जिसकी अति आवश्यकता है।

1947 के उपरान्त देश की बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को मजबूत एवं प्रभावयुक्त करने के लिए राष्ट्र के कुछ विद्वानों एवं नेताओं ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक स्थायी परिवर्तन की बात कही एवं उसकी आवश्यकता पर बल दिया।

इसी कार्य को सम्पन्न करने हेतु समय–समय पर अनेक आयोगों का गठन किया तथा फिर इन आयोगों ने शिक्षा के विभिन्न पक्षों को अध्ययन कर भारत सरकार को अपना पक्ष रखा तथा निर्देश भी दिया जिससे शिक्षा व्यवस्था में देश की परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्थित शिक्षा नीति को लागू किया जा सके।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय लोग विकसित देशों की तुलना में अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को लेकर कम जागरूक होते है। इनके अधिकारों में उस समय और वृद्धि हो गयी जब भारत में सूचना का अधिकार 2005 लागू हुआ। भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, जो निरक्षर है, जो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है, उनके लिए सूचना का अधिकार कानून कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता है।

उपरोक्त बातों पर ध्यान दिया जाय तो सूचना का अधिकार कानून का प्रचार–प्रसार तभी हो सकेगा जब इसे माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया जायेगा तथा सरकार द्वारा भी विशेष कार्यक्रमों, प्रसारों के माध्यम से जनता को जागरूक किया जायेगा। उपरोक्त समस्या को देखते हुए शोधकर्ता ने इस विषय को आवश्यक समझा।

छात्रों को इन अधिकारों की जानकारी प्रदान करना कितना आवश्यक है तथा शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में सूचनाधिकारों को शिक्षा के रूप में शामिल कर नई पीढ़ी को मानव गरिमा का पाठ पढ़ाया जाना कहाँ तक अनिवार्य है तथा सूचनाधिकारों के संरक्षण के लिए स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं कला वर्ग के विद्यार्थियों (छात्र–छात्राओं) को शिक्षित किया जाना चाहिए या नहीं। विद्यार्थी इन अधिकारों के प्रति क्या मनोवृत्ति रखते है? इन प्रश्नों की जिज्ञासा को शान्त करने हेतु शोधकर्ता ने इस समस्या का चयन किया।

समस्या कथन– महाविद्यालयी विद्यार्थियों में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति का अध्ययन।

अध्ययन का उद्देश्य– प्रस्तुत शोध समस्या को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया हैं–

1. महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् कला वर्ग के छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएं– प्रस्तुत अध्ययन में उद्देश्यों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है–

1. महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।
2. महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् कला वर्ग के छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।
3. महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध विधि– प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या– प्रस्तुत अध्ययन में प्रयागराज जनपद के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को जनसंख्या के रूप में सम्मिलित किया गया है।

न्यादर्श–न्यादर्शन– प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श के चुनाव हेतु उद्देश्य परक न्यादर्श विधि का प्रयोग करके 4 महाविद्यालयों का चयन किया एवं यादृच्छिक विधि के अन्तर्गत लाटरी विधि द्वारा स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के 100–100 छात्र–छात्राओं अर्थात् कुल 200 विद्यार्थियों का चुनाव किया गया।

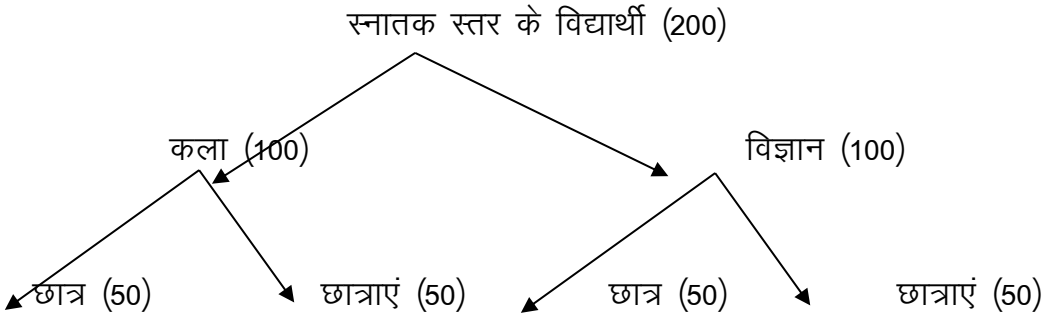

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण– प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययनकर्ता ने आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्रमाणिक प्रश्नावली उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नावली का निर्माण स्वयं किया है। इस प्रश्नावली को अध्ययन के अनुसार **''महाविद्यालयी स्तर पर सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति''** को दृष्टिगत रखते हुए स्वनिर्मित प्रश्नावली का निर्माण किया गया है। प्रश्नावली निर्माण में प्रश्नों को अन्तिम रूप देने से पहले विशेषज्ञ की सलाह ली तथा अस्पष्ट तथा असंगत कथनों को प्रश्नावली में सम्मिलित नहीं किया गया

है। प्रश्नावली को स्नातक स्तर पर सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति को मापने के लिए लिकर्ट योग निर्धारण विधि का प्रयोग किया गया है।

प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँः– अध्ययन के द्वारा प्रस्तुत अध्ययन में जिन सांख्यिकीय की प्राविधियों का प्रयोग किया गया है, वे निम्नवत् हैंः–

1. मध्यमान (Mean)
2. मानक विचलन (Standard deviation)
3. मानक त्रुटि (Standard Error)
4. क्रान्तिक अनुपात या टी अनुपात (CR or t-test)

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या–

1. महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन–

H_{01}– महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी संख्या–1

महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति का मध्यमान, मानक विचलन, मानक त्रुटि, क्रान्तिक अनुपात मान

क्र. सं.	लिंग	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	मानक त्रुटि (SE_m)	मध्यमानों का अन्तर (D)	क्रान्तिक अनुपात मान (C.R.)	सार्थकता स्तर एवं सारणी मान	परिणाम
1.	छात्र	100	101.92	18.52	12.44	3.59	3.47	0.05 (1.97)	सार्थक अन्तर है।
2.	छात्राएं	100	89.48	17.37				0.01 (2.60)	

अवकलित CR का मान = 3.47

198 आवृत्ति अंश (*df*) पर 0.05 सार्थकता स्तर का सारणी मान–1.97

198 आवृत्ति अंश (*df*) पर 0.01 सार्थकता स्तर का सारणी मान–2.60

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति का मध्यमान 101.92 एवं 89.48 तथा मानक विचलन 18.52 एवं 17.37 है। C.R. का परिगणित मान 3.47 है, जो कि क्रान्तिक अनुपात के द्विपुच्छीय परीक्षण के लिए 0.05 एवं 0.01 सार्थकता स्तर के सारणीय मान 1.97 एवं 2.60 से अधिक है तथा 0.05 एवं 0.01 सार्थकता स्तर पर भी C.R. का परिगणित मान सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना (H_{01}) अस्वीकृत की जाती है। इस प्रकार सारणी मान से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति में सार्थक अन्तर है अर्थात् महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति छात्राओं की अपेक्षा उच्च पाया गया।

2. महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् कला वर्ग के छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन–

H_{02}– महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् कला वर्ग के छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी संख्या–2

महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् कला वर्ग के छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति का मध्यमान, मानक विचलन, मानक त्रुटि, क्रान्तिक अनुपात मान

क्र. सं.	प्रतिदर्श	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	मानक त्रुटि (SE_m)	मध्यमानों का अन्तर (D)	क्रान्तिक अनुपात मान (C.R.)	सार्थकता स्तर एवं सारणी मान	परिणाम
1.	कला वर्ग के छात्र	50	106.18	17.52	12.16	3.46	3.57	0.05 (1.98)	सार्थक अन्तर है।
2.	कला वर्ग की छात्राएं	50	94.02	17.07				0.01 (2.63)	

अवकलित CR का मान = 3.57

98 आवृत्ति अंश (*df*) पर 0.05 सार्थकता स्तर का सारणी मान–1.98

98 आवृत्ति अंश (*df*) पर 0.01 सार्थकता स्तर का सारणी मान–2.63

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् कला वर्ग के छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति का मध्यमान 106.18 एवं 94.02 तथा मानक विचलन 17.52 एवं 17.07 है। C.R. का परिगणित मान 3.57 है, जो कि क्रान्तिक अनुपात के द्विपुच्छीय परीक्षण के लिए 0.01 सार्थकता स्तर के सारणीय मान 2.68 के समान है तथा 0.01 सार्थकता स्तर पर भी C.R. का परिगणित मान सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना (H_{02}) अस्वीकृत की जाती है। इस प्रकार सारणी मान से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् कला वर्ग के छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति में असमानता है एवं महाविद्यालयी स्तर के कला वर्ग के छात्र स्नातक स्तर के कला वर्ग की छात्राओं की तुलना में सूचना अधिकार अधिनियम. के प्रति उच्च मनोवृत्ति रखते हैं।

3. महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन–

H_{03}– महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी संख्या–3

महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति का मध्यमान, मानक विचलन, मानक त्रुटि, क्रान्तिक अनुपात मान

क्र. सं.	प्रतिदर्श	संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	मानक त्रुटि (SE_m)	मध्यमानों का अन्तर (D)	क्रान्तिक अनुपात मान (C.R.)	सार्थकता स्तर एवं सारणी मान	परिणाम
1.	विज्ञान वर्ग के छात्र	50	97.66	18.67	12.72	3.54	3.59	0.05 (1.98)	सार्थक अन्तर है।
2.	विज्ञान वर्ग की छात्राएं	50	84.94	16.63				0.01 (2.63)	

अवकलित CR का मान = 3.59

98 आवृत्ति अंश (*df*) पर 0.05 सार्थकता स्तर का सारणी मान–1.98

98 आवृत्ति अंश (*df*) पर 0.01 सार्थकता स्तर का सारणी मान–2.63

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति का मध्यमान 97.66 एवं 84.94 तथा मानक विचलन 18.67 एवं 16.63 है। C.R. का परिगणित मान 3.59 है, जो कि क्रान्तिक अनुपात के द्विपुच्छीय परीक्षण के लिए 0.05 एवं 0.01 सार्थकता स्तर के सारणीय मान 1.98 एवं 2.68 से अधिक है तथा 0.05 एवं 0.01 सार्थकता स्तर पर भी C.R. का परिगणित मान सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना (H_{03}) अस्वीकृत की जाती है। इस प्रकार सारणी मान से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति में असमानता है एवं महाविद्यालयी स्तर के विज्ञान वर्ग के छात्र महाविद्यालयी स्तर के विज्ञान वर्ग की छात्राओं की तुलना में सूचना अधिकार अधिनियम. के प्रति उच्च मनोवृत्ति रखते हैं।

ग्राफ 3 महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति के मध्यमानों का आरेख चित्र

निष्कर्ष – प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों का विश्लेषण करने प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित हैं–

1. महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति में सार्थक अन्तर है अर्थात् महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति छात्राओं की अपेक्षा उच्च है।
2. महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् कला वर्ग के छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति में अन्तर है अर्थात् महाविद्यालयी स्तर के कला वर्ग के छात्र स्नातक स्तर के कला वर्ग की छात्राओं की तुलना में सूचना अधिकार अधिनियम. के प्रति उच्च मनोवृत्ति हैं।
3. महाविद्यालयी स्तर पर अध्ययनरत् विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति मनोवृत्ति में अन्तर है अर्थात् महाविद्यालयी स्तर के विज्ञान वर्ग के छात्र महाविद्यालयी स्तर के विज्ञान वर्ग की छात्राओं की तुलना में सूचना अधिकार अधिनियम. के प्रति उच्च मनोवृत्ति रखते हैं।

सुझाव– मानव को प्राप्त अधिकारों के हनन का जिम्मेदार स्वयं मानव है इसका मुख्य कारण शिक्षा अज्ञानता अपने अधिकारों के बारें में जानकारी न होना तथा अपने अधिकारों का हनन होते हुए मूक दर्शक के रूप में देखना। आज आवश्यकता है कि शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को सूचना के अधिकार के बारें में जानकारी प्रदान की जाये। शिक्षा के इस स्तर पर सूचना के अधिकार को विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाय प्राथमिक स्तर से ही बालकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारें में जानकारी दी जाये। जिससे कि वे उच्च स्तर की कक्षाओं तक पहुँचते पहुँचते इस क्षेत्र में पूरी तरह जागरूक हो सकेंगे। जब हम अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे तो सबसे पहले हम दूसरे के अधिकारों का हनन नही करेगे यदि हमारे अधिकारों का हनन हो तो हम संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिये सूचनाधिकार आयोग, सूचनाधिकार न्यायालय स्थापित किये गये हैं। जहाँ हम जाकर अपने अधिकारों के विषय में संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

अतः अध्ययनकर्ता को इस शोध कार्य के दौरान अनेक पुस्तकों पत्र–पत्रिकाओं के अध्ययन से सूचना के अधिकार के विषय में अनेक जानकारियाँ प्राप्त हुई तथा सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से यह भी ज्ञात हुआ कि छात्र–छात्रायें सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के विषय में कम जानकारी रखते हैं, उन्हें देश की शिक्षा के माध्यम से जागरूक करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कालीनाथ, आर0पी0 (1988), ए स्टडी ऑफ इनडिविजुअल माडर्निटी एण्ड इट्स रिलेशन टु द एजुकेशनल बैकग्राउण्ड एण्ड द होम इनवायरमेण्ट, पी0एच0डी0, डिपार्टमेण्ट ऑफ एजुकेशन, युनिवर्सिटी ऑफ बाम्बे।
2. काल्सी, उपेन्द्रजीत कौर (2005), 21वीं शताब्दी में भारत मं मानवाधिकारों के प्रगति के स्तर का विश्लेषण, नागपुरः शोध ग्रन्थ पी0एच–डी0, नागपुर विश्वविद्यालय।
3. गुप्ता, एस0पी0 (2003), सांख्यिकीय विधियाँ, इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन।
4. जायसवाल, आर0 (1980), माडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेटेड यूथः ए सोशियोसाइकोलॉजिकल स्ट्डी इन सेलेक्टेड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, पी0एच0डी0 सोशियोलॉजी, अवध यूनिवर्सिटी।
5. जैन, पुखराज (2006), राजनीति विज्ञान, आगराः साहित्य भवन पब्लिकेशन।
6. जिंदल, बी0एल0 (1984), स्कूलिंग एण्ड माडर्निटी, डिपार्टमेण्ड ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेण्ट पी0जी0 कॉलेज हिसार।
7. जी0आर ड्राइवर ओर जे0सी माइल्स द्वारा सम्पादित दि बेबीलोनियन लाज (1952), एस0पी0 सिन्हा, ह्यूमन राइट्स फिलासफिकली, इंडियन जनरल ऑफ इन्टरनेशनल लॉ, वाल्यूम नं, 2।
8. भट्ट, केनी (2006), अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार प्राविधानों का भारत में महिलाओं के लिये प्रयास, भावनगरः पी0एच–डी0 शिक्षाशास्त्र, भावनगर विश्वविद्यालय।
9. यादव, तेज प्रताप (2003), मानवाधिकारों के रक्षा में गांधी दर्शन की उपादेयता का अध्ययन, उद्धृत कु0 प्रियंका (2011), स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन, इलाहाबादः लघु शोध, एम0एड0, इलाहाबादः नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय।
10. रूहेला, सत्यपाल (1999), शिक्षा का समाजशास्त्रः भूल संप्रत्यय और सिद्धान्त, जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।

11. रामन्ना, पी0वी0एल0 (1985), माडर्निस्ट ओरिएण्टेशन एण्ड रोल परफार्मेन्स ऑफ विशाखापत्तनम् म्यूनिसिपल स्कूल्स, पी0एच0डी0 डिपार्टमेण्ट ऑफ सोशियोलॉजी आन्ध्रा यूनिवर्सिटी।
12. लालरिन्किमी (1988), ए स्ट्डी ऑफ शोसियों कल्चरल कोरिलेट्स ऑफ मॉडरनिटी इन मिजोरम, पी0एच0डी0 डिपार्टमेण्ट ऑफ एजुकेशन, नार्थ–ईष्टर्न हिल यूनिवर्सिटी।
13. वर्मा, रूबी (2004), माध्यमिक स्तर पर सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों में मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन, उदृधत कु0 प्रियंका (2011), स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन, इलाहाबादः लघु शोध, एम0एड0, इलाहाबादः नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय।
14. वर्मा, शशि (2019). मानवाधिकार संरक्षण में मीडिया की भूमिका, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ हिन्दी रिसर्च, वॉ0 5, इश्शू–2, पृ0 21–23
15. सिंह, अरूण कुमार (2006), मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधि, भारती भवन।
16. त्रिपाठी, टी0पी0 (2001), मानवाधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि, इलाहाबादः इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।

पत्रिकाएँ–

17. प्रतियोगिता दर्पण, आगरा पब्लिकेशन्स योजना।
18. वेयर एक्ट (2013). भारतीय संविधान, इलाहाबाद : लॉ पब्लिकेशन्स।
19. भारत (2014). एक वार्षिक सर्वेक्षण प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
20. भारतीय आधुनिक शिक्षा (2005). एन0सी0ई0आर0टी0, त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।

समाचार पत्र

21. अमर उजाला, इलाहाबाद संस्करण।
22. दैनिक जागरण, इलाहाबाद संस्करण।